

**नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2023 को शान्तिपूर्ण सकुशल सम्पन्न कराने हेतु
जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत एवं नगरीय निकाय) अयोध्या की
आयोजित प्रेस कान्फ्रेन्स.....**

1. कार्यक्रम

चरण	नाम निर्देशन पत्रों का क्रम व जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय	अभ्यर्थन की वापसी का दिनांक व समय	प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6	7
द्वितीय	17.04.2023 से 24.04.2023 तक (पूर्वाहन 11.00 बजे से अपराहन 3.00 बजे तक)	25.04.2023 (मंगलवार) (पूर्वाहन 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	27.04.2023 (गुरुवार) (पूर्वाहन 11.00 बजे से अपराहन 3.00 बजे तक)	28.04.2023 (शुक्रवार) (पूर्वाहन 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	11.05.2023 (गुरुवार) (पूर्वाहन 7.00 बजे से अपराहन 6.00 बजे तक)	13.05.2023 (शनिवार) (पूर्वाहन 8.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. कुल निकाय—8 i- नगर निगम अयोध्या ।

- ii- नगर पालिका परिषद रुदौली
- iii-नगर पंचायत गोशाईगंज ।
- iv-नगर पंचायत खिरौनी (सुचित्तागंज)
- v-नगर पंचायत भरतकुण्ड (भद्रसा)
- vi-नगर पंचायत मॉ कामाख्या
- vii-नगर पंचायत कुमारगंज ।
- viii-नगर पंचायत बीकापुर ।

3. कुल वार्ड	—169
4. कुल मतदान केन्द्र	—169
5. कुल मतदान स्थल	—467
6. कुल मतदाता	—499742
7. कुल रिटर्निंग आफिसर	—29
8. कुल सहायक रिटर्निंग आफिसर	—47
9. कुल जोनल मजिस्ट्रेट	—19
10. कुल सेक्टर मजिस्ट्रेट	—49
11. कुल संवेदनशील मतदान केन्द्र	—62
12. कुल अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र	—54
13. कुल अतिसंवेदनशील प्लस मतदान केन्द्र	—20

14. नामांकन के दौरान समस्त निकायों में कानून व्यवस्था हेतु उप जिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी तथा उच्च अधिकारियों को पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

15. नामांकन व्यवस्था हेतु समस्त तैयारियां जैसे—निर्वाचक नामावली, आरओ०/ए०आरओ० का प्रशिक्षण, नामांकन प्रपत्र, स्टेशनरी, बैरी केडिंग, सी०सी०टी०बी०, पूर्ण कर निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गयी है। दिनांक 17.04.2023 से निम्नवत् वर्णित स्थानों पर नामांकन प्रारम्भ किया जायेगा।

तहसील	क्र० सं०	निकाय	नामांकन स्थल		मतगणना केन्द्र.....		
			महापौर/अध्यक्ष	पार्षद/सदस्य	पोलिंग पार्टी वापसी स्थल	मतगणना स्थल	स्ट्रांग रूम
2	1	3	4		5	6	7
सदर	1	नगर नि०अयोध्या	न्यायालय कक्ष अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कलवट्रेट परिसर अयोध्या	तहसीलदार सदर के मुख्य भवन का पूर्वी, उत्तरी तथा पश्चिमी बरामदा	रा०इ०का० अयोध्या	रा०इ०का० अयोध्या का पूर्वी/दक्षिणी बरामदा	रा०इ०का० अयोध्या के इंटरमीडिएट बिल्डिंग का क०सं० 28,29,30
	2	नगर पंचायत गोशाईंगंज	न्यायालय कक्ष नायब तहसीलदार गोशाईंगंज ता० सदर	न्यायालय कक्ष नायब तहसीलदार नगर तहसील सदर	रा०इ०का० अयोध्या	रा०इ०का० अयोध्या के हाई स्कूल बिल्डिंग का पूर्वी बरामदा	रा०इ०का० अयोध्या के हाईस्कूल बिल्डिंग का क.सं० 5
सोहावल	3	नगर पंचायत खिरौनी	न्यायालय नायब तहसीलदार रौनाही सो०	न्यायालय उपजिलाधिकारी सोहावल	आर०डी०इण्टर का०सुचित्तागंज सोहावल	आर०डी०इण्टर का सुचित्तागंज क०सं० 27–28 के सामने बरामदा	आर०डी०इण्टर का सुचित्तागंज क०सं० 28
	4	नगर पंचायत भरतकुण्ड भद्रसा	न्यायालय नायब तहसीलदार (मसौधा) सोहावल	न्यायालय तहसीलदार सोहावल	आर०डी०इण्टर का०सुचित्तागंज सोहावल	आर०डी०इण्टर का सुचित्तागंज क०सं० 18–21 के सामने बरामदा	आर०डी०इण्टर का सुचित्तागंज क०सं० 37
रुदौली	5	नगर पा०परिषद रुदौली	न्यायालय उपजिलाधिकारी रुदौली	तहसील सभागार रुदौली	हिन्दू इ०का० रुदौली	हिन्दू इ०का० रुदौली	कक्ष संख्या 21 व 22
	6	नगर पंचायत मॉ कामारब्या	न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक) रुदौली	न्यायालय तहसीलदार रुदौली	हिन्दू इ०का० रुदौली	हिन्दू इ०का० रुदौली	हाल-1
मिल्कीपुर	7	नगर पंचायत कुमारगंज	न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट तहसील मिल्कीपुर, अयोध्या	न्यायालय तहसीलदार तहसील मिल्कीपुर, अयोध्या	राजकीय आश्रम पद्धति विधालय मुगीसपुर तहसील मिल्कीपुर, अयोध्या	राजकीय आश्रम पद्धति विधालय मुगीसपुर तहसील मिल्कीपुर, अयोध्या	राजकीय आश्रम पद्धति विधालय मुगीसपुर का क०सं- 3 के सामने बरामदा
बीकापुर	8	नगर पंचायत बीकापुर	न्यायालय कक्ष उपजिलाधिकारी बीकापुर	न्यायालय कक्ष तहसीलदार बीकापुर	तहसील परिसर बीकापुर	तहसील सभागार बीकापुर	न्यायालयकक्ष उ०जि०न्यायिक बीकापुर

16. एक अभ्यर्थी एक पद के लिए अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उम्मीदवार जिस कक्ष का निर्वाचक है उससे भिन्न कक्ष से निर्वाचन लड़ने पर अभ्यर्थी को निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी। निर्वाचन नामावली का सत्यापन महापौर, एवं पार्षद हेतु सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा तथा अध्यक्षों एवं सदस्यों के पदों हेतु निकाय से सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

17. एक उम्मीदवार दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य/पार्षद पद हेतु निर्वाचन नहीं लड़ सकता है।

18. महापौर / पार्षद हेतु नगर निगम का निर्वाचक एवं अध्यक्ष तथा सदस्य नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद हेतु उम्मीदवार सम्बन्धित नगर निकाय का निर्वाचक होगा ।
19. महापौर नगर निगम तथा अध्यक्ष नगर पालिका परिषद एवं अध्यक्ष नगर पंचायत के उम्मीदवार की आयु 30वर्ष एवं पार्षद नगर निगम तथा सदस्य नगर पालिका परिषद एवं सदस्य नगर पंचायत हेतु उम्मीदवार की आयु 21वर्ष पूर्ण होनी चाहिए ।
20. नामांकन के दिवसों में नामांकन स्थल से 200मीटर की परिधि के बाहर ही उम्मीदवार के साथ आने वाली भीड़ को रोक दिया जायेगा । और नामांकन स्थल पर उम्मीदवार, उसका प्रस्तावक या सहायता के लिए एक अन्य व्यक्ति को ही आने की अनुमति दी जायेगी ।
21. व्यय अनुवीक्षण हेतु समिति तथा (Flying Squad Team) टीम का गठन किया गया है,
22. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के दिनांक से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। जिसका अनुपालन जनपद स्तर पर सुनिश्चित किया जा रहा है ।
23. आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु ऐसा कोई भी कार्य न किया जाये जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय, जाति, वर्ग, राजनैतिक दल / उम्मीदवार, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो या उससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो ।
24. किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जायेगी ।
25. मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का किसी भी रूप से सहारा नहीं लिया जायेगा ।
26. पूजा स्थलों का उपयोग निर्वाचन में प्रचार एवं निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्य हेतु नहीं किया जायेगा ।
27. किसी भी शासकीय / सार्वजनिक सम्पत्ति / स्थल / भवन / परिसर में / पर विज्ञापन, वाल राइटिंग नहीं करेंगे । कटआउट / होर्डिंग / बैनर आदि नहीं लायेंगे । चुनाव प्रचार हेतु वाहनों का प्रयोग के लिए जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी ।
28. चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बाक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे और इनका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा ।
29. सभा / रैली / जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर ही करेंगे ।

पदवार नामांकन मूल्य जमानत धनराशि एवं अधिकतम व्यय सीमा

क्रमांक	पद	नामांकन मूल्य (रुपये में)	जमानत राशि	अधिकतम व्यय
1.	महापौर नगर निगम—अनारक्षित अनु०जाति / अनु०जनजाति / पिछड़े / महिला	1000 500	12000 6000	35,00000
2—	पार्षद नगर निगम—सामान्य अनु०जाति / अनु०जनजाति / पिछड़े / महिला	400 200	2500 1250	3,00000
3—	अध्यक्ष नगर पालिका परिषद—अनारक्षित अनु०जाति / अनु०जनजाति / पिछड़े / महिला	500 250	8000 4000	9,00000
4—	सदस्य नगर पालिका परिषद—अनारक्षित अनु०जाति / अनु०जनजाति / पिछड़े / महिला	200 100	2000 1000	2,00000
5—	अध्यक्ष नगर पंचायत—अनारक्षित अनु०जाति / अनु०जनजाति / पिछड़े / महिला	250 125	5000 2500	2,50,000
6—	सदस्य नगर पंचायत—अनारक्षित अनु०जाति / अनु०जनजाति / पिछड़े / महिला	100 50	2000 1000	50,000